



(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 02/2013

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 17/2017

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री जगमोहन उर्फ भाया पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कवाई जिला बारां (राज.)
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री जगमोहन उर्फ भाया पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कवाई जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कवाई क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा एवं मारपीट की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कवाई में वर्ष 1999 से 2017 के मध्य कुल 11 प्रकरण, में से 10 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के एवं 01 प्रकरण धारा 341, 323, 325, 34 भादस के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। जिसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है, इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	210/1999	13 आरपीजीओ	131/14.10.1999	सजा
2.	198/2000	341, 323, 325, 34 भादस	152/20.11.2000	पेण्डिंग कोर्ट

3.	42 / 2001	13 आरपीजीओ	27 / 17.03.2001	सजा
4.	103 / 2003	13 आरपीजीओ	72 / 30.06.2003	सजा
5.	22 / 2005	13 आरपीजीओ	15 / 28.02.2005	सजा
6.	78 / 2005	13 आरपीजीओ	45 / 23.04.2005	सजा
7.	78 / 2009	13 आरपीजीओ	57 / 27.05.2009	सजा
8.	109 / 2012	13 आरपीजीओ	83 / 26.07.2012	सजा
9.	265 / 2016	13 आरपीजीओ	189 / 23.11.2016	सजा
10.	166 / 2017	13 आरपीजीओ	111 / 15.06.2017	सजा
11.	209 / 2017	13 आरपीजीओ	142 / 25.07.2017	सजा

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे दिनांक 12.02.2013 एवं दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्गे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल विरुद्ध पुलिस थाना कवाई में वर्ष 1999 से 2017 के मध्य कुल 11 प्रकरण, में से 10 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के एवं 01 प्रकरण धारा 341, 323, 325, 34 भादस के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। जिसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है, इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जर्गे अभिभाषक जिला बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 40 कि. मी. दूरी पर स्थित है। मुझे यहा तारीख पेशी पर आने में काफी परेशानी होती है, किराया

अधिक लगता है और उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मैं स्वयं की सहमति में उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना कवाई द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के फलस्वरूप मुझे पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज.) किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उक्त पुलिस थाना मेरे गाँव में नजदीक है। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगसे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा जर्गे अभिभाषक प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कवाई में वर्ष 1999 से 2017 के मध्य कुल 11 प्रकरण, में से 10 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के एवं 01 प्रकरण धारा 341, 323, 325, 34 भादस के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री जगमोहन उर्फ भाया पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कवाई जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के 10 प्रकरणों में दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री जगमोहन उर्फ भाया पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कवाई जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कवाई से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री जगमोहन उर्फ भाया पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कवाई जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कवाई से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 05.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कवाई से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां